

वदशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार

केंद्र सरकार ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) से आग्रह किया है कि वह वीजा शर्तों के उल्लंघन के बाद **वदशियों को राहत देने के लिये स्थानीय न्यायालयों से संपर्क करने के अधिकार** के वषिय पर देश के लिये "दीर्घकालिक" नहितार्थ के साथ एक कानून बनाने में मदद करे।

- सरकार ने वदशियों द्वारा स्थानीय न्यायालय की ओर रुख करने के अधिकार (जबकि [अनुच्छेद 19](#) उन पर लागू नहीं होता है) के दायरे से जुड़े प्रश्नों की पड़ताल करने के लिये कहा है।
- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 19 एक वदशी पर लागू नहीं होता, जबकि [अनुच्छेद 21](#) लागू होता है, ऐसी सूरत में स्थानीय अदालतों का रुख करने के उनके (वदशियों) अधिकारों का दायरा क्या होगा।"
- अनुच्छेद 21 (जो यह कहता है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा") नागरिकों एवं गैर-नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19 (जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और साथ ही शांतपूरण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान करता है) केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है अर्थात् वदशियों पर यह लागू नहीं होता है।

वदशी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, न कि वदशियों के लिये	नागरिकों और वदशियों दोनों के लिये उपलब्ध मौलिक अधिकार (शत्रु देश को छोड़कर)
अनुच्छेद 15: केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर वभिद का प्रतषिध।	अनुच्छेद 14: वधि के समक्ष समता और वधियों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 16: लोक नयिजन के वषिय में अवसर की समानता।	अनुच्छेद 20: अपराधों के लिये दोषसद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 19: (i) वचिर एवं अभिव्यक्ति, (ii) शांतपूरण सम्मेलन, (iii) संघ बनाने, (iv) नरिबाध वचिरण, (v) नविस और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण।	अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।	अनुच्छेद 21A: प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उसके संचालन का अधिकार।	अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में हरिसत एवं नज़रबंदी से संरक्षण।
	अनुच्छेद 23: बलात् शर्म एवं अवैध मानव व्यापार के वरिद्ध प्रतषिध।
	अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नयिजन का प्रतषिध।
	अनुच्छेद 25: धर्म की अभिव्यक्ति के लिये प्रयास करने की स्वतंत्रता।
	अनुच्छेद 26: धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता।
	अनुच्छेद 27: किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट।
	अनुच्छेद 28: कुछ शक्ति संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के बारे में स्वतंत्रता।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्र. नमिनलखिति मूल अधिकारों के किस संवर्ग में असपृश्यता के रूप में कयि गए वभिदन के वरिद्ध संरक्षण समावष्ट है? (2020)

- शोषण के वरिद्ध अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- समता का अधिकार

उत्तर: (d)

प्र. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित कयि जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है?

1. अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
2. अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये गए राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
3. अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
4. अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

प्र. भारत के संविधान में शोषण के वरिद्ध अधिकार द्वारा नमिनलखिति में से कौन-से परकिल्पति हैं? (2017)

- 1- मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (बेगारी) का नषिध
- 2- असपृश्यता का उन्मूलन
- 3- अल्पसंख्यकों के हतियों की सुरक्षा
- 4- कारखानों और खदानों में बच्चों के नयोजन का नषिध

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्र. भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?

- (a) केवल नागरिकों के लयि उपलब्ध वधिकि अधिकार
- (b) कसि भी व्यक्ता के लयि उपलब्ध वधिकि अधिकार
- (c) केवल नागरिकों के लयि उपलब्ध मौलिकि अधिकार
- (d) न तो मौलिकि अधिकार और न ही कानूनी अधिकार

उत्तर: (b)